

ई-पत्रावली-58988

संख्या: /XII-3/2025/83(04)/2023

प्रेषक,

मायावती ढकरियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर-1,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

ग्रामीण निर्माण अनुभाग

देहरादून: दिनांक: जनवरी, 2025

विषय:- 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 नई ग्रामीण सड़क निर्माण योजनाओं की सर्वेक्षण एवं डी0पी0आर0 गठन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2638/निर्माण-8/बजट/2024-25, दिनांक 18.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22 नई ग्रामीण सड़क योजनाओं के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं सर्वेक्षण हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित, संलग्नक के कॉलम 2 में उल्लिखित योजनावार कॉलम 5 में उल्लिखित विवरणवार औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 84.02 लाख (चौरासी लाख दो हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखने/नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-847/XXVII(1)/2016 दि0 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश सं0-201358/09(150)2019/ XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
- (ii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (iii) समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
- (iv) निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
- (v) बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
- (vi) आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित शाखाओं को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
- (vii) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
- (viii) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उन कार्यों में ही व्यय किया जाय, जिन योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत

की गयी है। योजनाओं के डी0पी0आर0/सर्वेक्षण हेतु मार्गवार अवमुक्त धनराशि को उनके मूल लागत/विस्तृत आगणन में समायोजित किया जायेगा। सभी कार्यों के औचित्य एवं उनके डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित हो लिया जायेगा।

(ix) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है आप भी अपने स्तर से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर के माध्यम से **online** बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

(x) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/ XXX-1-12(25)2011, दि0-08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट **www.ua.nic.in** तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा।

(xi) शासनादेश संख्या- 757/XII-3/2023/01(01)2023, दिनांक 28.12.2023, शासनादेश संख्या-130/XII-3/2024/01(01)/2023, दिनांक 13.02.2024 एवं शासनादेश संख्या-445/XII-3/2021/87(07)/2019, दिनांक 19.07.2021 का अक्षरसः पालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्ण रूप से विवाद रहित मोटर मार्गों की डी0पी0आर0 नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम्य विकास-03-ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज-53-बृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु **Online Budget Allotment** की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग (अनुभाग)-4, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र सं0-1/266033/2025, दिनांक 06 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीया,

(मायावती ढकरियाल)

अपर सचिव।

संख्या: (1)/XII-3/2025/83(04)/2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ह0-

(दीप्ती मिश्रा)

उप सचिव।

शासनादेश संख्या- / XII-3/2025/83(04)/2023, दिनांक जनवरी, 2025 का संलग्नक

(धनराशि लाख में)

| क्र०सं० | योजना का नाम | प्रखण्ड का नाम | प्रस्तावित लम्बाई (कि०मी०) | सर्वेक्षण एवं DPR गठन हेतु अवमुक्त धनराशि |
|---------|--|----------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जनपद पौड़ी के वि०ख० बीरौखाल में सीली मल्ली से ग्राम खैराड तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | कोटद्वार | 2.00 | 3.30 |
| 2 | जनपद पौड़ी के वि०ख० यमकेश्वर में भृगुखाल तिमल्याणी निसणी मोटर मार्ग के तुन्ना गांव के समीप से श्यामखोली (निसनी) के लिए सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण। | कोटद्वार | 3.50 | 5.78 |
| 3 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत वि०ख० थराली में चिडिंगा मोटर मार्ग से चिडिंगा खालसा तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण। | चमोली | 2.50 | 4.13 |
| 4 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के गौचर डाडाखाल मोटर मार्ग से चौकी तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण। | चमोली | 2.50 | 4.13 |
| 5 | जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत वि०ख० नारायणबगड़ में सैंज खैतोली मोटर मार्ग से ग्राम कोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण। | चमोली | 2.00 | 3.30 |
| 6 | वि०ख० चकराता के अन्तर्गत चकराता-त्यूनी मुख्य मोटर मार्ग के त्यूना गांव से मंगटाड गांव तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | देहरादून | 1.80 | 2.97 |
| 7 | वि०ख० मोरी में कुनारा मोटर मार्ग से दुणाई तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | उत्तरकाशी | 1.50 | 2.48 |
| 8 | वि०ख० पुरोला में कुमोला नौरी मोटर मार्ग के किमी० 08 से मैती चिपलाडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | उत्तरकाशी | 1.50 | 2.48 |
| 9 | वि०ख० चिन्वालीसौड में भैगवालगांव से श्रीकोट, दुगडा, गोरुणधार, कमेणा, सर्प ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | उत्तरकाशी | 3.00 | 4.95 |
| 10 | वि०ख० डुण्डा में मुख्य मोटर मार्ग सेमियारा से उपलागांव भेटियारा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | उत्तरकाशी | 1.50 | 2.48 |
| 11 | राष्ट्रीय राजमार्ग-34 बाटुकसौड से आँगी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | उत्तरकाशी | 2.00 | 3.30 |
| 12 | वि०ख० धनोली में ग्राम पंचायत गोठ के राजस्व ग्राम धनोली लगगा गोठ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 3.00 | 4.95 |
| 13 | वि०ख० थौलधार के अन्तर्गत पन्दोगी (थौलधार) हेतु ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 4.50 | 7.43 |
| 14 | वि०ख० प्रतापनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पोखरी भदूरा में तिनगाड से अनुसूचित जाति बस्ती पोखरी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 3.00 | 4.95 |
| 15 | वि०ख० चम्बा के अन्तर्गत आराकोट गुनोगी मोटर मार्ग के ग्राम पंचायत सिलकोटी के भन्वाडियों तोक से सैड तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 2.00 | 3.30 |
| 16 | वि०ख० नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुडी से भटकोटी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 2.00 | 3.30 |
| 17 | वि०ख० नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भण्डारगांव में डाबरखाल कुडी मोटर मार्ग से भण्डारगांव नौलधार तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | टिहरी | 2.00 | 3.30 |

| | | | | |
|----|--|----------|--------------|--------------|
| 18 | वि०ख० भिलंगना के अन्तर्गत घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग के बागसेरा से लोम हिमकूडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | घनसाली | 3.50 | 5.78 |
| 19 | वि०ख० देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी मोटर मार्ग से द्यूली (गडाकोट) नामे तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | घनसाली | 2.00 | 3.30 |
| 20 | विकास खण्ड जाखणीधार में काण्डा डांगी-मरोडा मो०मार्ग के गढ नामें तोक से राजस्व ग्राम वेलकन्डी जू०हा०स्कूल सौडधार डांगी होते हुए राजस्व गांव संकुल्ड के रानीगढ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | घनसाली | 2.50 | 4.13 |
| 21 | वि०ख० जाखणीधार के अन्तर्गत लासी गांव में सैण-लासी-सेम्या सडक के किमी० 03 से केमली नामे तोक तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | घनसाली | 2.00 | 3.30 |
| 22 | जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पिरान कलियर वाले मेन रोड से महमूदपुर तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण। | हरिद्वार | 1.1 | 0.98 |
| | कुल योग:- | | 51.40 | 84.02 |

(रूपये चौरासी लाख दो हजार मात्र)

(दीप्ती मिश्रा)
उप सचिव।